कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

संख्या– 1527-AW/ओएसडी–का0दे0 / 2009 दिनांक : 27 सितम्बर,2009

समस्त उपजिला मैजिस्ट्रेट,
जनपद कानपुर देहात।

विगत कुछ दिनों में मेरे द्वारा उप जिलामैजिस्ट्रेटों को विभिन्न विभागों की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रवर्तन कार्यो में सक्रिय रूचि दिखाने तथा टीमलीडर के रूप में कार्य करने के निर्देश प्रसारित किये गये है। मुख्य रूप से जिन प्रवर्तन गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना है उनका विवरण निम्नवत् है :–

1. राष्ट्रीय राजमार्गो तथा जनपदीय मार्गो पर वाहनों के अनाधिकृत संचालन, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग तथा अवैध जमावड़े आदि की रोकथाम।
   (परिवहन विभाग)
2. खाद्य पदार्थो में मिलावट तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली खाद्य सामग्री के विक्रय की रोकथाम।
   (खाद्य निरीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)
3. जनपद में कार्यरत थोक / फुटकर औषधि विक्रेताओं की दुकानों की जॉच तथा नकली दवाओं की बिक्री की रोकथाम।
   (औषधि निरीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी)
4. जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों / कस्बों में सक्रिय झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्व अभियान।
   (मुख्य चिकित्साधिकारी)
5. अवैध / कच्ची शराब की बिक्री के उत्पादन तथा बिक्री की रोकथाम और लाइसेंसी दुकानों पर शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर कार्यवाही।
   (आबकारी विभाग)
6. जनपद के विभिन्न कस्बों में अवैध रूप से संचालित केबल आपरेटरों का सर्वेक्षण कराकर उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही तथा अश्लील / पाइरेटेड सी0डी0 तथा कैसेट की बिक्री की रोकथाम।
   (मनोरंजन कर विभाग)
7. जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से बालू / मौरंम आदि के अवैध खनन् के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही।
   (खनिज निरीक्षक)

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु सभी उप जिला मैजिस्ट्रेटों को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श करके छापामार कार्यवाही तथा विशेष अभियानों को नियोजित किये जाने की आवश्यकता है। इन अभियानों के लिये समुचित पुलिस बल की भी आवश्यकता पड़ेगी। अतः सभी उप जिलामैजिस्ट्रेटों द्वारा अपने से सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी से वार्ता करके उक्त अभियानों हेतु पुलिस बल की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिये।

चूँकि इस प्रकार के अभियानों की सफलता उनकी गोपनीयता पर ही निर्भर होती है अतः यह आवश्यक है कि सम्बन्धित उप जिलामैजिस्ट्रेट इन गतिविधियों के बारे में विभिन्न स्रोतो से आवश्यकतानुसार गोपनीय अभिसूचना संकलित कर लें और उसके आधार पर सम्बन्धित विभागों तथा पुलिस से समन्वय करके स्वयं अपने अथवा तहसीलदार/नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गोपनीय ढ़ग से छापों का आयोजन करें, परन्तु किसी भी दशा में छापामार टीमों में नायब तहसीलदार स्तर से नीचे के अधिकारी न लगायें जाय। मिलावटी खाद्य पदार्थो, नकली औषधियों तथा वाहनों के अवैध संचालन आदि महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व स्वयं उप जिलामजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जायेगा।

मेरे द्वारा यह अनुभव किया गया है कि उप जिलामजिस्ट्रेटों द्वारा उक्त विभागों की प्रवर्तन गतिविधियों में पर्याप्त रूचि तथा लीडरशिप का प्रदर्शन न किये जाने के कारण इन विभागों से सम्बन्धित राजस्व की हानि होती है तथा कई मामलों में अमूल्य मानव जीवन की क्षति भी होती है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि सुनियोजित ढंग से उपरोक्त गतिविधियों के बारे में प्रवर्तन कार्यवाही का संचालन आगामी अक्टूबर माह में करायेगें और कृत कार्यवाही के परिणामों से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय। इन अभियानों की प्रगति समीक्षा आगामी माह में गुरूवार को होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में विशेष रूप से की जायेगी।

27.9.09

(सरोज कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

<u>संख्या व दिनांक यथोपरि।</u>

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वि0/रा0), कानपुर देहात।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, (पुंरूष), जिला चिकित्सालय, का0दे0।
5. जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रबर्तन), का0दे0।
7. जिला मनोरंजन कर अधिकारी, का0दे0।
8. समस्त खाद्य निरीक्षक, कानपुर देहात।
9. औषधि निरीक्षक, कानपुर देहात।
10. खनिज निरीक्षक, कानपुर देहात।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, का0दे0।

27.9.09

(सरोज कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।